श्री भरत गांधी का परिचय (उनकी पुस्तकों में यथाविद्यमान)

जन्म व शिक्षा

`जन्मतिथि- 12 फरवरी 1969. स्थान- मुंबई, महाराष्ट्र। मूल निवासी- मछलीशहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा- जौनपुर के पैत्रिक गांव के प्राइमरी स्कूल से। बचपन से ही मेधावी। उच्च शिक्षा- इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उ. प्र. की सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा सहित कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता। स्वयं सरकारी नौकरी करने से किसी दूसरे विद्यार्थी की रोजी-रोटी न छिन जाये; यह सोचकर लेखक सरकारी नौकरी के लिये मारामारी कर रही भीड़ में से 23 साल की उम्र में अलग निकल गये और सरकारी नौकरी न करने का फैसला कर लिया। परिणामस्वरूप प्रथम प्रयास में सफल होने के वावजूद सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का बहिष्कार करके समय का सदुपयोग समाज सेवा में करने का फैसला किया। इस प्रकार खुद को बेरोजगार रखकर लेखक ने बेरोजगारी की समस्या का स्थाई समाधान खोजने का फैसला किया। सरकारी डिग्रियां 'किसी एक योग्यता' का प्रमाण भले ही हों, किन्तु 'सज्जनता' का प्रमाण नहीं हैं। यह सोचकर विधि स्नातक कोर्स को दूसरे साल छोड़ दिया।

लेखन कार्य

सन् 1993 में जब शिक्षा का बहिष्कार किया, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 'नेफर' नामक एक स्वैच्छिक संगठन बना कर शिक्षा व्यवस्था का एक नया मॉडल विकसित किया। लेखक ने मेरठ व दिल्ली में 30 साल की उम्र तक राजनैतिक, आर्थिक, संवैधानिक सुधारों, सृष्टि के उद्विकास, अध्यात्म और दर्शन पर तीन दर्जन से ज्यादा पुस्तकें लिख लिया था।

गरीबों की सेवा

सन् 1997 में मेरठ की मजदूर बाजार में वोटरों को गुलामी से आजाद करने के उपाय के तौर पर लेखक से एक खोज हुई, जिसे बाद में मतकर्तावृत्ति (वोटरशिप) के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस खोज के लाभों को लोगों तक पंहुचाने लिये व वोटरशिप में लोगों का विश्वास पैदा करने के लिये लेखक ने 28 साल की उम्र में भीष्म जैसी कठोर प्रतिज्ञा कर लिया। लेखक ने प्रतिज्ञा किया कि संसद द्वारा जनता की गुलामी खत्म करने के लिये प्रस्तावित वोटरशिप अधिकार संबंधी कानून बनाये जाने तक न तो वह विवाह करेंगे, न व्यक्गित आमदनी पैदा करेंगे, न अपना मकान बनवायेंगे, न कोई निजी संपत्ति बनायेंगे, न बैंक खाता रखेंगे; यानी स्वैच्छिक गरीब (फकीर) की तरह जीवन जियेंगे। इसी प्रतिज्ञावश लेखक 47 साल की उम्र तक अविवाहित हैं। अपना मकान न बनाने की प्रतिज्ञा के कारण लेखक को 20 सालों तक ऐसे परिवारोंं ने अपने पास रखकर लेखक के सेवाकार्य में सहयोग किया, जो लेखक के रक्त संबंधी भी नहीं थे। ''उसी समाजसेवी का इतिहास बनने दो- जो समाजसेवी योग्य हो, तपश्वी हो व फकीर हो। किन्तु शर्त यह है कि वह केवल अमीरों की अमीरी और गरीबों की गरीबी बढ़ाने के लिये ही काम करे''- इस ऐतिहासिक नीति, नियति व आदत के कारण बड़े मीडिया मालिक व खरबपति लोग लेखक से नाराज हैं। इसीलिये लेखक के कामों व उनके तपश्वी व्यक्तित्व के समाचारों का प्रसारण लगातार 20 सालों से रोक रहे हैं। कारण यह है कि लेखक गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। 1.14 जुलाई, 1998 में गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर लिये मेरठ के एक परिवार के मामले में 14 दिन तक केवल सादा पानी पीकर प्राणघातक अनशन किया। लेखक ने नौ सदस्यों के परिवार में से जीवित बची एकमात्र बच्ची के सुरक्षित व गरिमामय जीवन के लिये वोटरशिप की नियमित रकम की मांग किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बच्ची के नाम चेक भेजकर अनशन में हस्तक्षेप करके अनशन समाप्त कराया। सन् 1999 में वोटरों की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए लेखक ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया- आर्थिक आजादी आंदोलन परिसंघ। सन् 2001 में मेरठ के कताई मिल मजदूरों को शासन-प्रशासन ने जुल्म किया, तो उस जुल्म का विरोध करने के कारण प्रतिक्रया में तत्कालीन शासन-प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। जिसे स्थानीय अदालत व हाई कोर्ट ने झूठा पाया और जिला कलेक्टर के अभियोग को केवल रद्द ही नहीं किया, अपितु झूठा मुकदमा करने वालों के खिलाफ

स्वतः संज्ञान लेकार मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस प्रकरण में लेखक ने अपनी वकालत स्वयं करके 83 दिन बाद स्वयं व अन्य 32 लोगों को जेल से रिहा करा लिया।

राजनीतिक सुधारकार्य

15 अगस्त, 2000 को संविधान समीक्षा पर तत्कालीन भारत सरकार द्वारा गठित संविधान समीक्षा आयोग के समानांतर गंदी राजनीति व राजव्यवस्था सुधारने के लिये भारत के संविधान सुधार पर अपनी रपट तैयार किया और रपट को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन को सौंपते हुए संविधान सुधारों को स्वीकार करने की मांग की। सन् 2005-06 में लेखक ने लोकसभा व राज्य सभा यानी संसद के दोनों सदनों के 137 संसद सदस्यों के माध्यम से वोटरों को आजादी देने व राजनीति सुधारने के लिये एक याचिका पेश करवाया। लेखक के कहने पर 30 संसद सदस्यों ने लोकसभा में बहस की मांग भी किया। किन्तु उच्च स्तरीय राजनीतिक साजिश के तहत संसद में 6 मई 2008 को तय बहस रोकने के लिये संसद का आकस्मिक शत्रत्रवसान करा यि गया। राज्यसभा के अधिकारियों की एक्सपर्ट कमेटी की 02 दिसम्बर, 2011 की रपट में स्वीकृति के वावजूद भी राज्यसभा के सभापति/उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के इशारे पर राज्यसभा के महासचिव पर दबाव डालकर वोटरों को आजादी देने के प्रस्ताव को 22 दिसम्बर, 2011 को फिर से रोक दिया गया और कह दिया गया कि लेखक के प्रस्ताव पर बेहतर हो कि लोकसभा विचार करे।

सन् 2011 में कथित टू. जी. स्पेक्ट्रम घोटाले में नामजद मोबाइल कम्पनियों के खरबपति मालिकों पर सी. बी. आई. का सिकंजा कसने लगा था। ''कानून अपना काम करेगा''- यह कहकर तत्कालीन प्रधनमंत्री डॉ. मनमनोहन सिंह ने सी.बी.आई. की गिरफ्तारी से भ्रष्ट खरबपतियों को बचाने से मना कर दिया था। इसके बाद जेल से बचने के लिये इन खरबपतियों ने अन्ना हजारे व केजरीवाल जैसे कुछ लोगों को जे. पी. और मोरारजी देसाई की तर्ज पर अपना मोहरा बनाया और कांग्रेस को हटाकर अपनी कठपुतलियों को सत्ता पर बैठाने की योजना बनाया। इसी योजना के तहत इन लोगों ने टी. वी. चैनलों व बड़े अखबारों के मालिकों को लोकपाल बनाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर हो हल्ला करके जनता को भड़काने व सड़क पर उतार देने के लिये रिश्वत दे दिया। जनता को सड़कों पर देख सी. बी. आई. को लगा कि मोबाइल कम्पनियों के खरबपति मालिकों को यदि सी. बी. आई. गिरफ्तार करती है तो देश में टी. वी. चैनलों से भड़काये गये लाखों लोग पुलिस व सेना की गोलियों से मारे जायेंगे। इस पूरी शरारत के पीछे कौन-कौन लोग थे? राष्ट्रपति को प्रत्यावेदन भेजकर इस बात की सी.बी.आई./एस.आई.टी. जांच की मांग लेखक सन् 2011 से ही करते रहे हैं, जिसे न तो कांग्रेस सरकार ने माना और न तो भाजपा सरकार ने। यह प्रत्यावेदन अभी भी विचाराधीन है। अंदर की ये बातें समय रहते बहुत कम लोग जान सके। किन्तु लेखक ने उसी समय 'लोकतांत्रिक लोकपाल विधेयक' बनाकर व 9 मई, 2011 को सरकार को सौंप कर देश को बड़े खून-खराबे से रोका।

अपराध व आतंकवाद पर नियंत्रण का कार्य

जनहित के मामलों पर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में स्वयं बहस करके लोगों को न्याय दिलाते हैं। अपनी इसी नीति के तहत मेरठ कोर्ट में बहस करके 32 लोगों को बाइज्जत जेल से बरी कराया। हाईकोर्ट इलाहाबाद में बहस करके मेरठ के अपराधी जिला कलेक्टर पर क्रिमिनल केस दर्ज कराया। उ. प्र. में अपराध के बल पर राजनीति करने के लिये समाजवादी पार्टी बदनाम है। इस पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस करके आदेश पारित करवाया। जबकि अन्य सभी पार्टियां केवल जनता में वोट लेने के लिये ही उनके अपराधों का प्रचार करते हैं। जब मुख्यमंत्री ने उ. प्र. के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव पर दबाव डालकर उनसे भी अपराध करवाया, तो लेखक ने प्रदेश के इन उच्चस्थ अधिकारियों को भी कानून के सिकंजे में बांधा। राजनीति, राजनीति से बाहर के साधन सम्पन्न अपराधियों को सलाखों के पीछे पंहुचाने के काम के कारण लेखक पर कई बार जानलेवा हमले हुये। परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लेखक को पुलिस सुरक्षा देने के लिये आदेश पारित किये। लेखक को भारत के कई प्रदेशों में इसी वजह से पुलिस सुरक्षा प्राप्त है। वर्तमान में लेखक देश व विश्व स्तर पर आवश्यक राज्य के राजनीतिक सुधारों व लोगों के चारित्रिक सुधारों के लिये कार्यरत हैं। लेखक देश भर में जगह-जगह राजनीति सुधारने और जीवन में

सफलता की कला सीखने व सिखाने वालों को प्रशिक्षण देने के लिय शिविर लगाते हैं और अपने नीति निर्देशन में चल रहे संगठनों व राजनैतिक दलों की सभाओं को संबोधित करते हैं। लेखक का ज्यादातर निवास दिल्ली, मुबई, लखनऊ और गौहाटी में होता है। इस प्रकार 24 साल की उम्र में अपने शैक्षिक जीवन का अंत कर लिया। चरवाहा गरीब यादव समुदाय में जन्मे लेखक ने 22 साल की उम्र में तय किया कि वह रक्तपिता के पुत्र के रूप में अपनी जातीय पहचान 25 साल की उम्र के बाद नहीं रखेगे। 25-50 साल की उम्र में वह भारतीय राष्ट्रपुत्र 'गांधी' के रूप में जाने-पहचाने जाएंगे। 50-75 साल की उम्र में लेखक की पहचान विश्वपुत्र के रूप में होगी। 75 साल के बाद की उम्र में लेखक अपना परिचय परमपिता की संतान के रूप में देंगे।

लेखक की आमदनी का स्रोत

स्वैच्छिक फकीरी का जीवन अपना लेने के कारण लेखक की व्यक्तिगत आय का काई स्रोत नही है। लेखक की पुस्तकों के प्रकाशन, हवाई यात्राओं, हेलीकाप्टरों, स्वास्थ्य, सुरक्षा व सचिवालय का खर्च उठाने के लिये उनके अनुयायी व शुभचिंतकगण ''भरत गांधी फाउण्डेशन'' के नाम से एक पंजीकृत ट्रष्ट चला रहे हैं। इस ट्रष्ट का निर्माण लेखक के लगातार 20 सालों के वनवास जैसे जीवन को देखते हुये किया गया है। ट्रष्ट के बैंक खाते में ट्रष्ट के सदस्यों व उनकी पुस्तकों के पाठकों से मिल रहे छोटे-छोटे नियमित दान से श्री भरत गांधी की खोजों का लाभ आम जन तक पंहुचाने का काम और जरूरतमंद लोगों की सेवा का काम चल रहा है। Email: votership@gmail.com, Phone, Watsapp, Fax No.-: 096 96 1 2 3 4 5 6. Websites: www.votersparty.in, www.politicalreforms.org, www.theartofsuccess.in